राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
अनुभाग–3 त0ना0त0,
संख्याः 730 /3–त0ना0त0–35 एन0टी0/2020
लखनऊ। दिनांकः 18 मार्च, 2021
आदेश/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित **सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2017** के आधार पर नायब तहसीलदार पद हेतु चयनित निम्न तालिका में अंकित अभ्यर्थी को मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0 एतदद्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली–2003 यथासंशोधित नियम–20(1) के अन्तर्गत नायब तहसीलदार के पद पर **वेतनमान रूपया 9300–34800 ग्रेड वेतन रूपया 4200/–** (सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत **लेवल–6 में वेतन रू0 35400/–**) में नियुक्ति प्रदान करते हुए, उनके नाम के सम्मुख तालिका के **स्तम्भ–6** में अंकित जनपद में तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	रैंक	नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	तैनाती जनपद
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	2	श्री ऋतुराज शुक्ल	श्री सत्यव्रत शुक्ल	ग्राम–विष्णुपुर,पो0–रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उ0प्र0, 230304।	**शाहजहाँपुर**

2– उपर्युक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली–2003 (यथासंशोधित) के नियम–18 में विहित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के पश्चात् साढ़े चार माह के प्रशिक्षण हेतु पृथक से सूचित किया जायेगा।

3– उपर्युक्त अभ्यर्थी द्वारा जब तक नियुक्ति के पश्चात साढ़े चार माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर ली जाती है, तब तक उपर्युक्त अभ्यर्थी से न्यायिक कार्य नहीं लिया जायेगा।

4– उपर्युक्त **अभ्यर्थी** की नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन होगी :–

(क) उक्त नियुक्त अभ्यर्थी नायब तहसीलदार सेवा नियमावली–2003 के नियम–21 के अधीन यथा उल्लिखित तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगें।

(ख) उक्त नियुक्त अभ्यर्थी को **साढ़े चार माह** का विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षणोपरान्त अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(ग) उक्त नियुक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी किन्तु अभ्यर्थी द्वारा विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, तो वह अपनी ज्येष्ठता को खो देगा तथा उसकी संशोधित ज्येष्ठता कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुरूप निर्धारित की जायेगी।

(घ) उक्त नियुक्त अभ्यर्थी को नायब तहसीलदार पद हेतु विहित विभागीय परीक्षा उनके परिवीक्षाकाल में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(च) *यद्यपि यह नियुक्ति आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण करने के उपरान्त की जा रही है तथापि यदि भविष्य में यह संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रमाणीकरण प्रपत्र में दी गयी*